

फर्द अहकाम
(नियम-13)

(General rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 94)

अज अदालत :- राष्ट्रीय लोक अदालत, कैम्प तालेड़ा



मुकाम :- तालेड़ा

प्र.स.339..... / प्रा0पत्र / 2025 ⇒ 2025/91

बउनवान ~~सम्बन्ध~~ ~~की~~ बनाम राजस्थान सरकार
द्वारा

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा:- 136 LR Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.03.2025	<p>प्रार्थी देव सिंह आ0 लाल सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम छपावदा के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे तहसीलदार तालेड़ा द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/25/751 दिनांक 05.03.2025 के क्रम मे प्रकरण आज लोक अदालत मे पेश किया। प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रा0 पत्र के क्रम मे तहसीलदार तालेड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्यो की पुष्टि तहसीलदार रिपोर्ट से होती है। अतः प्रा0पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार तालेड़ा के आधार पर स्वीकार किया जाकर नाम संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार तालेड़ा को पत्र जारी हो प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या.....०१.....</p> <p> अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या.....०१..... सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तालेड़ा (बून्दी)</p>	<p>नि.अ. देवसिंह</p>